जय व्यापारी–जय व्यापार
व्यापारी एकता जिन्दाबाद
भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पं.)
(भारत के व्यापार एवं लघु उद्योग संस्थाओं का केन्द्रीय संगठन)
BHARTIYA UDHYOG VYAPAR MANDAL®
ESTD 1981
मुख्यालय :– BS/31B, शालीमार बाग, नई दिल्ली – 100088
Head Office :- BS/31B, Shalimar Bagh, New Delhi - 100088
छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल Yogeshagrawalrpr@gmail.com Mob: 94252 04949

राष्ट्रीय अध्यक्ष	राष्ट्रीय चेयरमैन	वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री	राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
रविकान्त गर्ग	बालकिशन अग्रवाल	गोपाल मोर	जगदीश बेरीवाल
ravikantgargbjp@yahoo.com	aggarwal.bal@gmail.com	gopalmor66@gmail.com	beriwal.jagdish@gmail.com
Mob. : 9412278777	Mob. : 9311221206	Mob. : 9848055751	Mob. : 9312214433

परम सम्मानीय निर्मला सीतारमन
वित्त मंत्री
भारत सरकार

विषय: जीएसटी में व्यापारियों को हो रही तकलीफ़ों एवं उससे नीजाद हेतु सुझाव

1. नियम 36 के उप-नियम (4) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक लगने से होने वाली दिक्कत

नियम 36 के उप-नियम (4) में कहा गया है कि इनवॉइस या डेबिट नोटों के संबंध में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आईटीसी का लाभ उठाया जा सकता है, जिसका विवरण धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड नहीं किया गया है, तो 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसे घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया और नए नियम के अनुसार इसे और घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है।

इस नियम के बदलाव से टैक्सपेयर के पास बिल व डेबिट नोट होने के बाद भी इनपुट क्रेडिट ना मिलने और टैक्स पेमेंट बढ़ने से बिज़नेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।

सुझाव:

- यदि टैक्सपेयर के पास इनवॉइस या डेबिट नोट है उसे उन सारे बिल या डेबिट नोट के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की अनुमति होनी चाहिए चाहे वह इनवॉइस 2A में दिख रहा हो या नही ।
- अथवा जीएसटी पोर्टल में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाये जिसमे जो इनवॉइस 2A में नहीं दिख रहे है वो इन्वॉइसेस खरीदार जीएसटीपोर्टल में अपलोड कर सके।

2. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (11) अनुसार यदि सप्लायर द्वारा गवर्मेंट को टैक्स का भुगतान ना करने पर क्रेता से वसूली करना उचित नहीं

मुख्यालय :– BS/31B, शालीमार बाग, नई दिल्ली – 100088 Head Office :- BS/31B, Shalimar Bagh, New Delhi - 100088
छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल Yogeshagrawalrpr@gmail.com Mob: 94252 04949

राष्ट्रीय अध्यक्ष	राष्ट्रीय चेयरमैन	वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री	राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
रविकान्त गर्ग	बालकिशन अग्रवाल	गोपाल मोर	जगदीश बेरीवाल
ravikantgargbjp@yahoo.com	aggarwal.bal@gmail.com	gopalmor66@gmail.com	beriwal.jagdish@gmail.com
Mob. : 9412278777	Mob. : 9311221206	Mob. : 9848055751	Mob. : 9312214433

जीएसटी कानून की धारा 16 में कहा गया है कि यदि कोई विक्रेता सरकार को जीएसटी का भुगतान नहीं करता है, तो खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार कर दिया जाएगा।

Case law:

Delhi High Court

Arise India Limited vs Commissioner of Trade & Taxes

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका ख़ारिज कर दी थी, जिसमे कहा गया था की विक्रेता के टैक्स जमा नहीं करने पर खरीदार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रोका जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने सरकार के क्रेडिट रोकने का अधिकार देने वाले दिल्ली वैट एक्ट के **सेक्शन 9 (2) (g)** को मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया था।

3. जीएसटी Nill रिटर्न फाइलिंग पर late fee माफ किया जाना चाहिए

जीएसटीNill रिटर्न फाइल करने पर 20 रुपया प्रति दिन लेट फी को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस से जो छोटे व्यापारियो या जिनकी सेल नहीं हुई है उन्हें बेवजह late fee का भुगतान करना पड़ रहा है।

4. जीएसटी पोर्टल प्रणाली अपडेशन नहीं है

जीएसटीपोर्टल में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध की गयी है जिससे की टैक्सपेयर का काम आसानी से हो सके परन्तु उन सुविधाओं का अपडेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे की पार्टी वाइज 2A की डिटेल्स और वार्षिक रिटर्न में 2A ऑटोपोपुलटेड फिगर मैच नहीं होता है जिसकी वजह से क्रेता को इनपुट को मैच करने में असुविधा होती है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल Yogeshagrawalrpr@gmail.com Mob: 94252 04949

राष्ट्रीय अध्यक्ष	राष्ट्रीय चेयरमैन	वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री	राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
रविकान्त गर्ग	बालकिशन अग्रवाल	गोपाल मोर	जगदीश बेरीवाल
ravikantgargbjp@yahoo.com	aggarwal.bal@gmail.com	gopalmor66@gmail.com	beriwal.jagdish@gmail.com
Mob. : 9412278777	Mob. : 9311221206	Mob. : 9848055751	Mob. : 9312214433

5. जीएसटी वार्षिक रिटर्न में परिवर्तन की ज़रूरत क्योंकि यह एक सारांश फॉर्म है, लेकिन कर के भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन की सुविधा होनी चाहिए

जीएसटीवार्षिक रिटर्न में परिवर्तन होना चाहिए क्योंकी साल का एकाउंट्स मिलान होने के बाद अगर कोई टैक्स पेमेंट का भुगतान या इनपुट क्रेडिट क्लेम और रिवर्सल हो तो उसे उसी में सही करने का विकल्प दिया जाये तो टैक्सपेयर को आसानी होगी।

6. वर्ष के छूटे हुए आईटीसी का दावा करने की सुविधा को अगले वर्ष के सितंबर तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 16 की उप-धारा (4) जो कि अनुरूप है, यह प्रदान करती है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं होगा या प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बाद दोनों वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर के महीने के लिए धारा 39 के तहत वापसी, जो ऐसे डेबिट नोट से संबंधित चालान या चालान संबंधित वार्षिक रिटर्न से संबंधित है या प्रस्तुत करता है, जो भी पहले हो।

इन नियमो से व्यापारियो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इनपुट का नुकसान भी हो रहा है क्योंकी कई सप्लायर रिटर्न समय से फाइल नहीं करते जिससे क्रेता को 2A में बिल नहीं दिखाई देता और वह उस इनपुट का क्लेम नहीं ले सकता।

इन्ही असुविधाओं को देखते हुए वर्ष के छूटे हुए आईटीसी का दावा करने की सुविधा को वार्षिक रिटर्न फाइलिंग करने तक की अनुमति दी जनि चाहिए ।

छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल Yogeshagrawalrpr@gmail.com Mob: 94252 04949

राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकान्त गर्ग ravikantgargbjp@yahoo.com Mob. : 9412278777
राष्ट्रीय चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल aggarwal.bal@gmail.com Mob. : 9311221206
वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल मोर gopalmor66@gmail.com Mob. : 9848055751
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश बेरीवाल beriwal.jagdish@gmail.com Mob. : 9312214433

7. <u>जीएसटी ऑडिट और टैक्स ऑडिट को एक साथ कर सरलीकरण होना चाहिए।</u>

वर्त्तमान के नियमो के अनुसार बहुत सारी अंतिम तिथि का कम्पलाइंस कर रहे है जिस से की व्यापारियो को अलग अलग अंतिम तिथि में रिटर्न व ऑडिट रिपोर्ट फाइल करवानी पड़ती है और इसी की चलते उन्हें बिज़नेस में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है।

टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि और जीएसटी ऑडिट की अंतिम तिथि अलग होने के कारण सेल में मिसमैच, इनपुट क्रेडिट में मिसमैच और एकाउंट्स मेन्टेन नहीं हो पाना जैसी तकलीफे होती है।

8. <u>जीएसटी के सारे रिट्रन्स (जीएसटी आर बी , जीएसटी आर 1 , वार्षिक रिटर्न जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट) को रिवाइस करने की सुविधा उपलब्ध कराई जनि चाहिए।</u>

वर्तमान में जीएसटी के किसी भी रिर्टन्स व ऑडिट रिपोर्ट को रिवाईस नही किया जा सकता हांलाकि समायोजन करने की सुविधा वर्तमान में है परंतु व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है (जैसे– किसी भी महीने की विक्रय या आईटीसी की राशि दूसरे महीने के 3बी या जीएसटी आर–1 मे समायोजन करने पर उस महीने की विक्रय/आईटीसी में फर्क आ जाता है जो कि आगे वार्षिकी रिटर्न्स के समय दिक्कतो का सामना करना पड़ता है विशेष रूप से मार्च का अप्रैल मे समायोजन)

निष्कर्षः– इनपुट केडिट की रोक, केता से वसुली, लेट फीस, पोर्टल अपडेसन, वार्षिक रिटर्न में परिवर्तन, रिर्टन्स रिवाईस सभी बिन्दुओं को देखते हुए व्यापारियों के लिए जीएसटी के रिटर्न सबंधी प्रकिया को सरल किया जाये ताकि वह ज्यादा से ज्यादा अपने व्यापार में ध्यान दे सकें।

छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल Yogeshagrawalrpr@gmail.com Mob: 94252 04949

राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकान्त गर्ग ravikantgargbjp@yahoo.com Mob. : 9412278777
राष्ट्रीय चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल aggarwal.bal@gmail.com Mob. : 9311221206
वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल मोर gopalmor66@gmail.com Mob. : 9848055751
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश बेरीवाल beriwal.jagdish@gmail.com Mob. : 9312214433

9. वर्तमान में बैंक से कैश क्रेडिट की सुविधा लेने पर स्टॉक के मूल्य एवं लेनदारी पर 25 से 40% की कटौती की जाती है किंतु देनदारी पर कोई कटौती नहीं की जाती यह पुरानी व्यवस्था है जो आज पिछले 50 वर्षों से चली आ रही है किंतु भारत सरकार द्वारा व्यापार के दृष्टिकोण से सुधार हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें स्टॉक की कीमतों एवं लेनदारी में डूबत की संभावना समाप्त हो चुकी है अतः कैश क्रेडिट लिमिट पर स्टॉक के मूल्यांकन हेतु यह प्रक्रिया अपनाना उचित नहीं है एवं व्यापारियों के हित के लिए नहीं है अतः कुल मूल्य पर इसकी गणना की जानी चाहिए बैंक द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट की सिक्योरिटी के लिए दो बार सिक्योरिटी ली जाती है पहला कॉलेटरल सिक्योरिटी एवं स्टाफ और उधारी उधारी हाइपोथैकेशन के रूप में लिए जाते हैं जोकि क्षमता से अधिक सिक्योरिटी के रूप में आता है|

10. ब्रांन में GST समाप्त होना चाहिए , क्योकि चावल मिलो से निकलता है जो ब्रांन उसका 30 से 35 % केटल फीड में इसलिए विक्रय होता है क्योंकि ब्रांन में 5 % GST लगा है। मिलर 5 % GST चार्ज करता है परन्तु साल्वेंट प्लांट वाले GST मूल्य के बराबर दर काम करदेते है , इस लिए तेल का उत्पादन बढे , इस हेतु ब्रान में 5 % GST समाप्त होना चाइये ,

11. साल्वेंट प्लांट को सब्सडी :- देश में साल्वेंट प्लांट काम होने से राइस ब्रान का बेहतर मूल्य चावल मिल वालो को नहीं मिल रहा है , इस हेतु नए साल्वेंट प्लांट स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार सब्सिडी प्रदान करे , जिससे राइस ब्रान का सही मूल्य चावल मिलर को मिल सके।

छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल Yogeshagrawalrpr@gmail.com Mob: 94252 04949

राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकान्त गर्ग ravikantgargbjp@yahoo.com Mob. : 9412278777
राष्ट्रीय चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल aggarwal.bal@gmail.com Mob. : 9311221206
वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल मोर gopalmor66@gmail.com Mob. : 9848055751
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश बेरीवाल beriwal.jagdish@gmail.com Mob. : 9312214433

12. चावल मिलो को निर्यात सब्सिडी :- देश में मांग की तुलना में धन की पैदावार ज्यादा होने से सरकार पर खरीदी दर बढ़ा है इसे बैलंस करने प्रोडक्शन लिंकिंग सब्सिडी मिलर को सीधे प्रदान करना चाइये , वर्तमान में एक्सपोर्ट्स (ट्रेडर्स)को सब्सिडी मिल रही है जो मिलर नहीं है

13. Gold GST - सोने की कीमत में पिछले साल से काफी तेजी आने की वजह से GST का भार कस्टमर पर बहोत अधिक होगया है चूँकि सोना एक निवास की वस्तु है इसलिए -गोल्ड ज्वेलरी में IGST -1.5 % - CGST - 1.5% लग रहा है जिसे हटा कर IGST 0.5%- CGST 0.5% - किया जाये.गोल्ड ज्वेलरी में IGST -1.5 % - CGST - 1.5% लग रहा है , जिसे हटा कर IGST 0.5%- CGST 0.5% - किया जाये.

भवदीय

योगेश अग्रवाल